**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1505**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**मंत्रालय द्वारा किए गए नए और नवोन्मेषी उपाय**

**1505. डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धेः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सामान्यतः मंत्रालय और/या इसके संबंधित विभिन्न विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों द्वारा कार्य संस्कृति में सुधार करने, और अधिक पारदर्शिता लाने तथा जवाबदेही तय करने और परिणामोन्मुखता को बढ़ाने के लिए भी किसी तरह के नए और नवोन्मेषी उपाय किए गए हैं;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) इन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) से (ग): कार्य संस्कृति को प्रोत्‍साहित करने और बेहतर बनाने, इसमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा परिणाम को सुधारने के लिए पिछले पांच वर्षों से कई अभिनव और एहतियाती उपाय लागू किए गए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप अनुमोदन प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब में कमी आई है तथा साथ ही संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने, बेहतर शासन, नागरिक सेवाओं की प्रदायगी तथा व्यवसाय करने में आसानी की दृष्टि से विभिन्न स्‍कीमों को डिजाइन, कार्यान्वित और पुन: तैयार करने में सुधार हुआ है।

गृह मंत्रालय और इसके विभिन्न अधीनस्थ संगठनों द्वारा की गई कुछ पहलें **अनुलग्‍नक** में सूचीबद्ध हैं।

**-2-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1505 दिनांक 04.3.2020**

**अनुलग्नक**

गृह मंत्रालय और इसके विभिन्न अधीनस्थ संगठनों द्वारा की गई कुछ पहलें

(i) सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली, सीपीजीआरएएम के माध्यम से ऑनलाइन नागरिक भागीदारी;

(ii) मंत्रालय की विभिन्न स्‍कीमों की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके;

(iii) पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक खरीद;

(iv) ऑनलाइन फ़ाइल मूवमेंट को सरल एवं कारगर बनाने के लिए ई-ऑफिस कार्यान्वयन पर ध्यान;

(v) एक नागरिक-अनुकूल आपातकालीन कार्रवाई तंत्र सुनिश्चित करते हुए 112-आधारित आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली;

(vi) अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) को शुरू करना;

(vii) स्मार्ट पुलिस व्‍यवस्‍था और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली सुरक्षित शहर परियोजना का कार्यान्वयन;

(viii) साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल सहित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को शुरू करना;

(ix) वर्ष 2005 से डेटा सहित यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस की शुरूआत की गई तथा जाँच और बार-बार अपराध करने वालों पर नजर रखने के उद्देश्य से इसे पुलिस और विधि प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया;

(x) देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग;

(xi) आईसीटी के उपयोग के माध्यम से आव्रजन सेवाओं का आधुनिकीकरण और वीजा व्यवस्था का उदारीकरण, सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाया जाना;

**-3-**

(xii) ऑनलाइन एफसीआरए अर्थात पंजीकरण, पूर्व अनुमति, नवीनीकरण, ब्यौरे में परिवर्तन, विदेशी आतिथ्य के लिए अनुमति आदि;

(xiii) राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं को शीघ्रता से प्रस्तुत करने और परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन/निगरानी के लिए बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (https://badp.mha.gov.in) विकसित की गई है।

(xiv) उभरती परिस्थितियों हेतु शीघ्र कार्रवाई के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के माध्यम से भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर चुनिंदा हिस्सों में भौतिक बाड़ के साथ जोड़ने के लिए तकनीकी साधनों की तैनाती।

(xv) भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर चुनिंदा हिस्सों में मौजूदा कंपोजिट बाड़ को बदलने के लिए सीमा पर नई डिजाइन वाली मॉड्यूलर बाड़, जिसमें एंटी-रस्‍ट, एंटी-कट और एंटी-क्लाइम्‍ब फ़ीचर्स हैं।

(xvi) विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्‍वापक औषधि समन्वय (एनसीओआरडी) नामक एक नया मंच स्थापित किया गया है।

(xvii) संपूर्ण भारत के ड्रग जब्ती डेटा के डिजिटीकरण के लिए, गृह मंत्रालय ने एक ई-पोर्टल, एसआईएमएस (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) शुरू किया है।

(xviii) फील्ड की भौतिक निगरानी के अलावा प्रिकर्सर रसायनों के डायवर्जन की जांच के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म-यूआरएन (यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर)।

(xix) पद्म पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया को वस्तुपरक तथा पारदर्शी बनाया गया है और उन लोगों के चयन पर जोर दिया गया, जो बिना किसी प्रचार के समाज के लिए निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।

(xx) हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ई-टूल्‍स/मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं

\*\*\*\*\*